सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 27, गुरूवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 19, 2023
Asvina 27, Thursday , Saka 1945- October 19, 2023

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं नि.) अजमेर

अधिसूचना

अजमेर, अक्टूबर 09, 2023

प्रे 820 : भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु.164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधि.13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.02.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4 (जी ए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 15 (4) ऊर्जा/ 2017 दिनांक 03.10.2017 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) रा रा वि प्र नि लि अजमेर / जयपुर / जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खडा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ़ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी बिजली की आपूर्ति हेतु **400 के वि ग्रिड सब स्टेशन भीलवाड़ा से निकलने वाली पूर्वस्थित, द्वि परिपथिय 220 के वि, भीलवाड़ा परिपथ प्रथम एवं दितीय लाइन एवं द्वि परिपथिय 220 के वि, भीलवाड़ा – बामन टुकड़ा –पाली के मार्ग परिवर्तन** के लिए मार्ग-अधिकार अर्थात् **राइट आफ वे** की उपयुक्त मंजूरी जारी करते है। उक्त द्विपथीय लाईन निम्नलिखित गांवो की सीमा/राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी।

क्रम संख्या	गांव के नाम
1	पुर
2	दरीबा
3	सामोड़ी

सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि),
रा.रा.वि.प्र.नि.लि, अजमेर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।